

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पटाखिकारी के नाम से।  
लम्बविधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूबीवर्टिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3520

दिनांक: 30/07/11

## // आधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

**महाविद्यालय का नाम : केशव महाविद्यालय, शिवपुरी**

**मनोनीत सदस्य : 1. श्री अशोक शर्मा सदस्य, कार्यपरिषद्**  
**2. डॉ. नगेन्द्र चतुर्वेदी, भौतिकी विभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर**

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

आधिकारिक<sup>ा</sup>  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

### प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, केशव महाविद्यालय, शिवपुरी की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

आधिकारिक<sup>ा</sup>  
महाविद्यालयीन विकास परिषद

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र अवधारण कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के बास से ही प्रिया जारी न  
कि लिखी आनंद प्रशंसकों के बाबा हो।  
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
अवधारण हुआ हो तो पत्र कमाल हो दिक्कत  
अवश्य शिखा जावे जिससे संविधा हो।



फ़ाइल नं.: यूवीएसीटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फ़ैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4559

दिनांक: 15/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध केशव शिक्षा महाविद्यालय, शिवमुर्दी (07492-211512) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.ए. पाठ्यक्रम कक्ष/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये  
माननीय कुलपति महोदय/स्थानी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिकारिय 1973 के परिविहार  
27(10) के अवतर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विभाग अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442603)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. डॉ.एन. गोस्यामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) डॉ. डॉ.एल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अबुरोध है कि वे परिविहार 27/28 के प्रारम्भों के अवृक्षण महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर यात्रा, गांधिल सैक्षणिक/अरैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं  
पाठ्यक्रम/आठिनेश तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति गवर्नर पत्र के तथा प्राचार्य/सैक्षणिक एवं अरैक्षणिक स्टॉफ़ की  
नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने  
के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से जिवेदन है  
कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा  
करने का उत्तराधित निरीक्षण समिति संयोजक का होगा।

समिति गवर्नर का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तराधी लोग। जिनकी सूचना  
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोगाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 नाम में निरीक्षण बही करता है तो समिति उक्त बिरत हो  
जावेगी और पुक़: निरीक्षण समिति गवर्नर हेतु महाविद्यालय को ढण्ड स्वल्प नं. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण  
समिति का पुरुगढ़न किया जायेगा। परिविहार 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विना जारी को प्रवेश देवा अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचार्यी लेकर जार्ये तथा महाविद्यालय की  
वर्तमानियति से निरीक्षण समिति को अवज्ञत करायें। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय  
होगा।

### प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आश्वास है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण  
दिनांक विधारित कर महाविद्यालय को निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोगाल
- कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी उपायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से किया जाए जा  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जाए जिससे स्पष्टिक हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

**प्रेषक :**

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2009/ ५९७।

दिनांक: ०१/०६/१२

**// सूचना //**

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में सम्बद्ध केवल महाविद्यालय, शिवपुरी को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्ष/पाठ्यक्रमों/विषय यों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलसचिव महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत निर्णयानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है:-

- (1) प्रो. डी.सी. तिवारी, आवाना भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442828)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालीयन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधारों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राविहृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्लिंडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिबेल्स तथा पिछले सत्र ने भी गई शर्तों की पूर्णता यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विद्युतियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के विर्णवानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाए हैं। ना: समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहकालयों के प्राचार्यों/संस्था के अध्यक्षों/सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों के विरीक्षण विधायित अवधि से पूर्ण ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई श्री महाविद्यालय विरीक्षण हेतु तिथि के विराट्यन के लिए इस अधिसूचना जारी होवे के एम आह तक संयोजक से सम्पर्क बही करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का विरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही ग्राहकालयों के लिए पुनः समितियों के ग्रन्थ सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यस्थान अधीक्षक, कार्यालय सहायक प्राचार्यी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / माननीय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ १८° आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय ये की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधायित कर महाविद्यालय द्वारा विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुङ्गा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जैजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जी गजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पर लक्षण सुनामित जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम पर किया जाए ज  
कि बिहारी जनता जनतिकी है जो नाम है।  
समस्त विद्या जीवाजी की पूर्व ने इन  
व्यवसाय का नाम उपर्युक्त नाम दिए हैं।



फ़ाइल नं.: फॉर्मॉलर  
दृष्टिकोण : ०५१२-(०७५१)-२४४२८०१  
(०५१२००)  
२४४२४०२ (फॉर्मॉलर)  
फ़ॉर्मॉलर : (०५१२)-०७५१-२३४१७६८  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेसकार :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : १४५/प्रभावशः २०१२/५३७।।

दिनांक : १८/१०/१२

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिविभाग १९७३ की धारा २६(i)(v) एवं २४(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की  
पैकड़ दिनांक ०७ अक्टूबर, २०१२ के पर क्रमांक (०२) के विषयालुतार क्षेत्र लिखा गवायिता  
शिवायुक्ती को संच २०/१-१२ के लिये प्रस्तावित संघरणीय जीएस. पार्क्युलेशन के लिये अस्वाही समझौता  
विनियोगी के साथ। दाव एवं जारी है।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

१. प्राचार्य वे विद्युति २८(१७) में तत्काल कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। जो विद्युतियाँ  
२८(१७) में सिद्धान्तों की की गई हैं, उनका अनुमोदन कार्यपरिषद से करायें।
२. अव्यालय में रु. ३०,०००/- की पुस्तकें क्रय करें।
३. प्रयोगशाला में रु. ५०,०००/- के उपकरण क्रय किये जाएं।
४. शासी द्वि-काष्य की विस्तृत बैठक आयोजित करें।
५. शिक्षकों ने चेतावनी देकर अध्ययन वैकाश के अध्ययन से करें।
६. गरिविकार २७,२८ का पालन पूरी तरह सुनिश्चित करें।

आदेशालुतार  
  
कुलसचिव

### प्रति,

१. प्राचार्य, क्षेत्र लिखा गवायिता गवायुक्ती, शिवायुक्ती
२. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक लिखा गविष्ट, मानव संसाधन, व्याकाला हिल्स, भोपाल
३. आयुक्त, गव्य वेता शासक, उच्च लिखा विभाग, उत्तरपुढ़ा शबल, भोपाल।
४. लोकीय जनित्री व संचालक, अध्यापकों शासक, उच्च लिखा विभाग, व्याकाला-चंडीगढ़ रांभाल, गोटी गहल  
परिवार, गवायुक्ती।
५. उप-कुलसचिव (परीक्षा/सोवॉकीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
६. अधीक्षक, परीक्षा कार्य क्रमांक-०३, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुनालार्ड हरन आनन्दक  
कल्याणी हेतु।

कुलसचिव  
कृति द्वारा